न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 7/2025
जीसीएमएस नम्बर :: 2025/54

अपीलाण्ट्स :–

1. लक्ष्मी पुत्री रावतजी पत्नी केशर जी जाति सांसी, निवासी भदासीया फाटक, जोधपुर हाल निवासी नया गांव, सांसी बस्ती, तहसील पाली जिला पाली (राज.)
2. मन्जूड़ी पुत्री रावतजी पत्नी जोगाराम जाति सांसी निवासी कुमार दरवाजा, नागोर हाल निवासी नया गांव, सांसी बस्ती, तहसील पाली, जिला पाली (राज.)

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :–

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार पाली, तहसील पाली, जिला पाली (राज.)
2. मृतक हिम्मत पुत्र रावतजी जाति सांसी निवासी अहमदाबाद के कायम मुकाम :–
   2/1. मंगलसिंह पुत्र स्व. हिम्मत
   2/2. सूरज पुत्र स्व. हिम्मत, जातिगण सांसी, निवासीगण खोडियाल माता के मंदिर, छारा बस्ती काली गांव, अहमदाबाद
3. मृतक लक्ष्मण पुत्र रावतजी, जाति सांसी, निवासी अहमदाबाद के कायम मुकाम :–
   3/1. रम्मू पुत्री स्व. लक्ष्मणजी पत्नी शंकर, जाति सांसी, निवासी छावनी, सांसी बस्ती, ब्यावर तहसील ब्यावर, जिला अजमेर
4. मृतक कालू पुत्र रावतजी, जाति सांसी,, निवासी नयागांव, सांसी बस्ती, पाली के कायम मुकाम :–
   4/1. रमीला पुत्री स्व. कालू
   4/2. शर्मीला पुत्र स्व. कालू
   4/3. शेराराम पुत्र स्व. कालू
   4/4. लीला पुत्री स्व. कालू
   4/5. चन्दूड़ी पुत्र स्व. कालू
   जातिगण सांसी निवासीगण नयागांव, सांसी बस्ती, पाली(राज.)
5. श्रीमती कमला डांगी धर्मपत्नी श्री नवीन डांगी, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम बाली, जिला पाली हाल 53, शिवाजी नगर, सिविल लाईन्स, जयपुर (राज.)

न्यायालय जिला कलक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलक्टर, पाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री वीरमराम मीणा
रेस्पो. संख्या 05 की ओर से अधिवक्ता श्री रामलाल भाटी

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– **26.05.2025**

जैर अपील प्रकरण माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 15/2016 बअनवान श्रीमती कमला बनाम लक्ष्मी वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 03.10.2018 व न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या

10/2025 में पारित निर्णय दिनांक 01.04.2025 के प्रति–प्रेषण निर्देशों की पालना में पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। अपीलाण्ट्स व रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। न्यायालय हाजा की पत्रावली संख्या 25/2019 व पत्रावली संख्या 45/2013 रिकॉर्ड शाखा से तलब की गई। अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री वीरमराम मीणा वक्त बहस उपस्थित हुये। रेस्पो. संख्या 5 की ओर से अधिवक्ता श्री रामलाल भाटी वक्त बहस उपस्थित हुए। सरकारी पैरोकार उपस्थित। शेष रेस्पोडेण्ट्स को बाद तामिल वक्त बहस बार–बार आवाजे दिलाये जाने पर न्यायालय में अनुपस्थित आये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

प्रकरण के संबंध में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय हाजा द्वारा अपने प्रकरण संख्या 45/2013 में दिनांक 26.06.2014 को निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध रेस्पो. संख्या 05 ने न्यायालय, संभागीय आयुक्त जोधपुर में एक अपील 15/2016 प्रस्तुत की जिसमें माननीय न्यायालय ने अपने दिनांक 03.10.2018 द्वारा जैर प्रकरण न्यायालय हाजा को सभी पक्षकारों को पुनः सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण में नये सिरे से निर्णय पारित करने बाबत् निर्देशित किया। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने वक्त बहस अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मौजा ग्राम पाली चक द्वितीय, पटवार हल्का पाली चक द्वितीय, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पाली, तहसील–पाली की सरहद में खसरा संख्या 545 व खसरा संख्या 546 रकबा 104 बीघा व 07 बिस्वा में से 1/4 वां हिस्सा अपीलाण्ट व रेस्पो. संख्या 02 लगायत 04 के पिता रावतजी की खातेदारी कृषि भूमि आई हुई। रावतजी का निर्वसीयती स्वर्गवास हुआ जिनके उस वक्त प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी उनकी दो पुत्रियां अपीलाण्ट संख्या 01 व 02 तथा रेस्पो. संख्या 02 लगायत 04 जीवित थी। जैर आराजी का विरासत का नामान्तरकरण संख्या 1072 दिनांक 15.03.1994 भरते समय तत्कालीन हल्का पटवारी ने स्व. रावत जी के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान् की जांच किये बिना, प्रभावित पक्षकारों को नोटिस, जवाब व साक्ष्य पेश करने के अवसर दिये बिना ही जैर नामान्तरकरण केवल रेस्पो. संख्या 02 से रेस्पो. संख्या 04 व स्व. श्री रावतजी की पत्नी के पक्ष में स्वीकृत कर दिया जो विधि विरूद्ध व ab initio void होने से काबिले खारिज है। अधिवक्ता अपीलाण्ट की ओर से न्यायिक दृष्टान्त 2024(1) DNJ (Rev) Page 767, 2024(2) DNJ (Rev) Page 1038, 2023(1) DNJ (Rev) Page 313 पेश कर निवेदन किया कि जैर नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होने से खारिज फरमावे।

अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 05 ने अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस का खण्डन करते हुए वक्त बहस निवेदन किया कि वह तो रेस्पोडेण्ट्स का सद्भावी क्रेता है तो उसके द्वारा क्रय किये गये हिस्से तक के नामान्तरकरण को अपास्त नहीं किया जावे। लिहाजा जैर अपील सारहीन होने से काबिले खारिज है।

प्रकरण में सर्वप्रथम हम अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय मियाद अधिनियम एवं शपथ–पत्र के निर्णय में उचित समझते है कि उक्त आवेदन व शपथ पत्र अखंडित है। रेस्पोडेण्ट्स द्वारा अपील विलम्बित होने का कथन किया गया। प्रकरण में अपीलाण्ट्स का रावतजी की पुत्री होने का तथ्य, व्यक्त रूप से स्वीकृत है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार पुत्री का भी प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी होना बनता है। तदनुसार उसे अपने हक अधिकारों से वंचित किये जाने का नामान्तरकरण प्रथम–दृष्ट्या विधि विरूद्ध है, जिससे प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र को अखंडित मानते हुए मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

प्रकरण में समायतशुदा बहस व पत्रावली के अवलोकन करने पर यह प्रकट आता है कि जैर प्रकरण न्यायालय हाजा द्वारा अपने प्रकरण संख्या 45/2013 में दिनांक 26.06.2014 को निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध रेस्पो. संख्या 05 ने न्यायालय, संभागीय आयुक्त जोधपुर में एक अपील 15/2016 प्रस्तुत की जिसमें माननीय न्यायालय ने अपने दिनांक 03.10.2018 द्वारा उक्त प्रकरण, न्यायालय हाजा को सभी पक्षकारों को पुनः सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण में नये सिरे से निर्णय पारित करने बाबत् निर्देशित किया। उक्त प्रति–प्रेषण निर्देशों की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया तो वक्त बहस अधिवक्ता अपीलाण्ट का मुख्य उज्र यह था कि मौजा ग्राम पाली चक द्वितीय, पटवार हल्का पाली चक द्वितीय, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पाली, तहसील–पाली की सरहद में खसरा संख्या 545 व खसरा संख्या 546 रकबा 104 बीघा व 07 बिस्वा में से 1/4 वां हिस्सा अपीलाण्ट व रेस्पो. संख्या 02 लगायत 04 के पिता रावतजी की खातेदारी कृषि भूमि आई हुई। रावतजी का निर्वसीयती स्वर्गवास हुआ जिनके उस वक्त प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी उनकी दो पुत्रियां अपीलाण्ट संख्या 01 व 02 तथा रेस्पो. संख्या 02 लगायत 04 जीवित थी। जैर आराजी का विरासत का नामान्तरकरण संख्या 1072 दिनांक 15.03.1994 भरते समय तत्कालीन हल्का पटवारी ने स्व. रावत जी के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान् की जांच किये बिना, प्रभावित पक्षकारों को नोटिस, जवाब व साक्ष्य पेश करने के अवसर दिये बिना ही जैर नामान्तरकरण केवल रेस्पो. संख्या 02 से रेस्पो. संख्या 04 व स्व. श्री रावतजी की पत्नी के पक्ष में स्वीकृत कर दिया जो विधिविरूद्ध है। विपक्षी अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 05 का मुख्य उज्र यह था कि वह तो रेस्पोडेण्ट्स का सद्भावी क्रेता है तो उसके द्वारा क्रय किये गये हिस्से तक के नामान्तरकरण को अपास्त नहीं किया जावे।

प्रकरण में प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का परिशीलन किया गया गया तथा उभयपक्षों की श्रवणशुदा बहस पर मनन किया तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार किसी भी निर्वसीयती हिन्दु के मरणोपरान्त उसके प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों में उसकी पत्नी, पुत्र के अलावा उसकी पुत्रियां भी शामिल होती है। इस प्रकरण में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 08 का उल्लंघन होकर पुत्रियों को विरासत से वंचित किया गया है तथा यह नामान्तरकरण प्रथम–दृष्ट्या विधि विरूद्ध है क्योंकि इसमें विधि का उल्लंघन हुआ है। इस प्रकरण में विभिन्न माननीय न्यायालयों की न्यायिक नजीरे 2020 (3) DNJ (SC) 817, 2011(1) RRT Page 432 व 2006 RRD 20 सर्वाधिक महत्वपूर्ण है जिनमें यह निर्धारित किया गया है कि नामान्तरकरण में विधिक वारिसानों को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित निर्णय के संदर्भ में यदि प्रभावित पक्षकारों को सूचना नहीं दी गई हो तो मियाद गौण होती है। DNJ 2020 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि पुत्रियों को उसके समान अधिकार से धारा 06 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत भी 2005 के बाद वंचित नहीं किया जा सकता। पुत्री प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान है उसे मनमाने ढंग से वंचित नहीं किया जा सकता तथा एकपक्षीय आदेश/नामान्तरकरण अविधिक है। माननीय न्यायालय की न्यायिक नजीर 2008 DNJ (SC) page no 852 में भी यह प्रतिपादित किया गया है कि ab initio void नामान्तरकरण इन्द्राज के आधार पर आगे से आगे किये गये बेचान व नामान्तरकरण सभी कानून की नजरों में ab initio void होता है। विरासत के नामान्तरकरण में कब्जा गौण होता है। प्रकरण में उपरोक्त नजीरों के विश्लेषण एवं प्रतिपादित विधिक सिद्धान्तों के अनुशीलन एवं रेकर्ड का अवलोकन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि यह स्पष्ट है कि मृतक रावतजी की विरासत का नामान्तरकरण 1072 दिनांक 15.03.1994 को स्वीकार किया गया एवं जैर

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

नामान्तरकरण में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 08 में प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी सिर्फ मृतक की विधवा पत्नी एवं उसके पुत्रों को ही वारिस माना गया जबकि उसके अन्य 02 पुत्रियां, जो कि अपीलाण्ट है भी है, जो प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी होती है।

समग्रतः जैर प्रकरण में अपीलाण्ट का पुत्री होना निर्विवाद एवं स्वीकृत स्थिति है। तद्नुसार अपीलाण्ट्स जो कि पुत्री है, उसे इस से पूर्व नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय कोई सुनवाई का अवसर दिया गया हो ऐसा कोई साक्ष्य रेकर्ड पर उपलब्ध नहीं है तथा अपीलाण्ट को जैर नामान्तरकरण के सन्दर्भ में पूर्व में किसी ने सूचित किया हो या उसे जानकारी हो इसका भी कोई तथ्य रेकर्ड पर उपलब्ध नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि जैर नामान्तरकरण मौलिक एवं स्थापित विधि के विरूद्ध एक पुत्री को उसके विधिक अधिकारों से बिना सुनवाई वंचित किया गया है। अतएव जैर नामान्तरकरण प्रथम–दृष्ट्या अविधिक है तथा अपास्त किये जाने के लिए पात्रता रखता है।

प्रकरण में जहां तक अपीलाण्ट्स पुत्री को छोड़कर सिर्फ मृतक की विधवा पत्नी व पुत्रों के नाम खोला गया नामान्तरकरण एवं उसके आगे से आगे किये हस्तानान्तरण के आधार पर खोले गये नामान्तरकरण का प्रश्न है यह नामान्तरकरण अपीलाण्ट पर बाध्यकारी नहीं है क्योंकि विधि के अनुसार उनके विधिक हिस्से तक किये गये कोई विक्रय उस पर प्रभावी नहीं हो सकते चाहे वह विक्रय पत्र हो या वसीयत या अन्य कोई हस्तानान्तरण। तद्नुसार विधि विरूद्ध किये गये किसी भी हस्तानान्तरण को विधि से मान्यता नहीं दी जा सकती और वह भी अवधि के आधार पर अथवा पंजीकृत हस्तानान्तरण होने के आधार पर क्योंकि अविधिक हस्तानान्तरण शून्य होते है तथा शून्य हस्तानान्तरण आगे से आगे कितनी भी बार हस्तानान्तरण किये जाये वह शून्य ही होता है। पुत्रियों को उत्तराधिकारी मानते समय विडम्बनापूर्ण तथ्य यह लिखा जाता है कि उसके परिवार के सामाजिक सरोकारों को पीहर पक्ष ने परिपूर्ण किया इससे से वह पिता की संपति में उत्तराधिकार नहीं रखती, यह कदापि विधि सम्मत नहीं है क्योंकि इस प्रकार के सामाजिक सरोकारों से किसी पुत्री को उसके विधिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता।

समग्रतः हम जैर नामान्तरकरण संख्या 1072 दिनांक 15.03.1994 जो कि विधि विरूद्ध है उसे अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार, पाली को प्रति–प्रेषित कर निर्देशित करते है कि वे प्रकरण में सभी पक्षकारों को सुनकर अपीलाण्ट के विधिक उत्तराधिकार की हद तक उसकी विरासत के नामान्तरकरण का विनिश्चियन करे तथा उसे उसके हक तक की उसकी पैतृक संपति में उत्तराधिकार बाबत् नियमानुसार विधिक एवं नये सिरे से निर्णय पारित करे। निर्णय की सत्य प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 26.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सरे इजलास सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली